


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
॥ अधिसूचना ॥

पटना, दिनांक- ...30.5.16.....

संख्या-18/लो०शि०नि०-14-04/2016...7692.../बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 (बिहार अधिनियम 19, 2015) की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों की अधिकारिता, तुरंत के प्रभाव से, निम्नवत् विनिश्चित करती है:-

1	2	3
क्र० सं०	पद का नाम	परिवाद सुनवाई एवं निस्तार की अधिकारिता
1.	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी	अनुमंडल स्तर अथवा इससे नीचे के सभी लोक प्राधिकारों के स्तर पर निवारण होने वाले परिवाद के लिए (अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित)
2.	जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी	जिला स्तर अथवा इससे नीचे परन्तु अनुमंडल स्तर के उपर के लोक प्राधिकारों के स्तर पर निवारण होने वाले परिवाद के लिए
3.	विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी	जिला स्तर से उपर के लोक प्राधिकारों के स्तर पर निवारण होने वाले परिवाद के लिए


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(अभिषेक सिंह)

सरकार के अपर सचिव


ज्ञापांक-18/लो०शि०नि०-14-04/2016...7692.../पटना, दिनांक- 30.5.16.....

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और उसकी 1000 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-18/लो०शि०नि०-14-04/2016...7692.../पटना, दिनांक- ...30.5.16.....

प्रतिलिपि:-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/ स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/महानिदेशक, बिपार्ड/राज्य अभिलेखागार, पटना/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, पटना/टी०सी०एस० कोषांग, वित्त विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव